



आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
Email: jdbed.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक:—एफ.24(NOC 25-26)/बी.एड./आकाशि/2025/

दिनांक: हस्ताक्षर दिनांक

समन्वयक, पीटीईटी 2025,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा।

विषय:—सत्र 2025-26 के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं (बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड.— 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) की काउन्सलिंग की कार्यवाही हेतु सूची भिजवाये जाने बाबत।

क्षेत्रीय समिति, एनसीटीई से मान्यता एवं राज्य सरकार से स्थाई/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थाओं (बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड.— 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) की सूची संलग्न कर काउन्सलिंग की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अद्योलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें—

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीटीईटी के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा 2025 की मेरिट के आधार पर बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड.— 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जायेंगे।
2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे।
3. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
4. योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
5. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सलिंग में भाग ले रहे निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य फंडरेशन/सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेंगे।
6. निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित कर महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगी।
 - I. एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश,
 - II. राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र
 - III. अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची
 - IV. संचालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या
 - V. अन्य आवश्यक सभी सूचनाएं
7. प्रभावी एनसीटीई रेगुलेशन की पालना सुनिश्चित करे।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

यह राज्य सरकार से अनुमोदित है।

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जी-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली।
6. रजिस्ट्रार, समस्त राजपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
7. सचिव/प्राचार्य/रजिस्ट्रार, समस्त संचालित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय।
8. प्रभारी वेबसाइट, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
9. राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।


Principal
Lzebra Girls College
Kota

S. No.	District	Institute Name	Address	Tehsil	Type	Total Seats
		Parshvanath Jain Mahavidhyalaya	Dist- Jodhpur			
211	Karauli	Dhagwan Mahaveer Teacher Training College	Village-Kachroll, Tehsil-Hindon City, Karauli	Hindon City	सहशिक्षा	100
212	karauli	Mother Teresa Teacher Training College,	Village-Gaddipura, Lahchora Road, Tehsil-Hindon City, District-Karauli-322230	Hindoncity	सहशिक्षा	100
213	Karauli	Nehru College of Education,	Village-Hindaun City, Bayana Road, Tehsil- Hindaun City, Dist.-Karauli-322230	Hindaun city	सहशिक्षा	100
214	Karauli	Nirmal Teacher Training college	Bayana Road, Vill-Hindaun City, Teh- Hindaun City, dist- karauli	Hindon City	सहशिक्षा	100
215	Karauli	Rajasthan College of Teacher Training	Khasra No.950 & 954, Village-Kheda , Tehsil- Hindon City Dist- Kauroll	Hindon City	सहशिक्षा	100
216	Karauli	Sorabh College of Teacher Training	Khasra No.951 & 953, Village-Kheda , Tehsil- Hindon City Dist- Kauroll	Hindon City	सहशिक्षा	100
217	Karauli	Sorabh College of Teacher Training	Village-Mashalpur,Kheda Road, Tehsil-Mashalpur, Karauli	Masalpur	सहशिक्षा	100
218	Karauli	Veena Memorial Degree College	Plot No.5928/2, Tehsil-Karauli, Dist- Karauli	Karauli	सहशिक्षा	100
219	Karauli	Vijay Singh Pathik College.	Banwaripur Mode, Shri Mahaveer Ji, Tehsil- Hindaun City, Dist- Karauli - 322220	Hindoncity	सहशिक्षा	100
220	Karauli	Vikekanand Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya,	Village -Suroth, Bayana Road, Tehsil-Hindon City, District-Karauli -322252	Hindoncity	सहशिक्षा	100
221	Kota	Aklank College of Education,	Basant Vihar, Blood Bank Lane, Tehsil-Ladpura, Dist-Kota-324009	Ladpura	सहशिक्षा	100
222	Kota	Arihant T.T. College	Vill- Chandrasal, Teh-Ladpura, Kota	Ladpura	सहशिक्षा	100
223	Kota	Hitkari Sahkari Mahila Shiksha Mahavidyalaya,	Village -Arampura, (Dhakhar Kheri) Kaithoon Road, Tehsil-Ladpura, District-Kota-325001	Ladpura	महिला	100
224	Kota	Kautilya Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya	Village-Nayagaon, Teshsil-Ladpura, NH-76,By pass, Dist.-Kota-324010 ..	Ladpura	महिला	100
225	Kota	<u>Lzebra Girls College,</u>	Block-B, Sidni Street, Near Saras Dalry, Shilpura, Rawat Bhata Road, Kota	Kota(Ladpura)	महिला	100
226	Kota	Maa Bharti P.G. College,	Mahavir Nagar-II, Tehsil-Ladpura,Kota	Ladpura	सहशिक्षा	100
227	Kota	R.M. Memorial Women T.T. College,	Ujjwal Vihar, Baran Road, Tehsil-Ladpura, Dist-Kota-324001	Ladpura	महिला	100
228	Kota	Sarvodaya Teacher Training College,	Village-IPC(Part-B) RIICO Rampur, Institutional Area . Tehsil-Ladpura, Kota	Ladpura	सहशिक्षा	100
229	Kota	Shri Krishna Teachers Training College,	Naya Nohra, Village-Kota, Tehsil-Ladpura, Dist-Kota-324002	Ladpura	सहशिक्षा	100
230	Nagaur	Aadrsh Shikshan Prashikshan Sansthan	Village-Deu, Tehsil- Khimsar, Nagaur	Khimsar	सहशिक्षा	100
231	Nagaur	Adarsh Mahaavidyaalay,	Village - Kuchaman City, Station road Taluka- Kuchaman City, District-Nagaur-341508	Kuchamanclty	सहशिक्षा	100
232	Nagaur	Agrawal College Merta City	Chundiya Road, Merta City., Nagaur	Mertacty	सहशिक्षा	100
233	Nagaur	Agrawal Girls College Mertacty	Mertacty., Nagaur	Mertacty	महिला	100
234	Nagaur	Agrawal Girls T.T.College,	Tehsil-Mertacty, Dist-Nagaur	Mertacty	महिला	100
235	Nagaur	Agrawal Shikshak Prashikshan	Tehsil-Mertacty, Dist-Nagaur	Mertacty	महिला	100

Signature Not Verified

Digitally signed by Sural Bhatta
Designation : Additional
Commissioner

Date: 2025.06.11 14:44:06 IST
Reason: Approved

Principal
Lzebra Girls College
Kota

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (491) आकाशि/निरा./2010/ 1196
आदेश

दिनांक:- 7/7/11

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अनुमोदन को आभार पर अगस्त 2017-18 से निम्नलिखित महाविद्यालय
का स्नातक स्तर पर पूर्ण संचालित व नवीन संकाय/विभाग में रथाई अनुमोदित प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के
साथ प्रदान किया जाता है:-

विद्यालय का नाम व पता	संकाय/विभाग	संकाय/विभाग
एलजेका कॉलेज, प्लॉक-बी, शिडनी स्ट्रीट सररा शिवपुरी को पास शिवपुरा, शिवपुरी रोड, कोटा	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।	अभिलेखित विभागों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय-कम्प्यूटर, गणित, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, भूगोल, चित्रकला, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, संगीत। विज्ञान संकाय- प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित।

- संबंधित विश्वविद्यालय एवं बी०सी०आई०से संबंधितता प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजीसी, अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानकानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान में भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था को समय-2 पर यूजीसी/राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्वन्धी नियम 1993 के तहत उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
- संस्था को रथाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही कर रथायी मान्यता को प्रत्याहृत (Withdraw) किया जा सकता है।
- संस्था को प्रत्येक साल में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- विभिन्न महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय/राजकीय महाविद्यालय/विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांकेतिक पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करे। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
- अपराधिक शर्तों की पालना नहीं करने पर रथायी अनुमोदित प्रमाण-पत्र को प्रत्याहृत कर लिया जायेगा।

Principal
Lzebra College

Sydney Street Shivpura

कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आकृति (सिद्धांश) हेतु भेजित है -

1. विशिष्ट सहायक मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आचार्य मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, कोटा।
4. कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।

Principal
Lzebra Girls College
Kota

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

आंकड़ा: एफ4 (722)आयुशि/नि.सं./2011/ 945

दिनांक: 24-3-18

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शिक्षा संस्था अधिनियम, 1999 तथा संसदीय विधायक, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिनियम निजी महाविद्यालयों की अधिनियम 2010-18 से सम्बन्धित संस्थाओं पर नवीनीकरण व विधायक में सुधार अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों को प्राथमिकता दिया जाता है:-

संस्था का नाम	महाविद्यालय का नाम	सम्बन्धित विद्यालय	संस्था का नाम व विषय
श्रीमती एजुकेशन सोसायटी, आदर्श नगर, जयपुर, कोटा।	एजुका कॉलेज, नगर रायपुर, शिवपुरा, कोटा।	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।	स्नातकोत्तर स्तर पर- एम.एस.सी. रसायनशास्त्र, गणित।

- संस्था प्रत्येक साल में निर्धारित अवधि में नियमानुसार भूयः वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
- आवश्यकानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा छात्रों का अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था को राज्य-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था संकाय व विषयवार शीटों का ऑप्टन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगी।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संस्था प्रवेश नीति 2010-18 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.jce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुरितक एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय की रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) गणकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय द्वारा की Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त, 24/3
कॉलेज शिक्षा, राजा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आयरपक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशेष सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, कोटा।
- मुख्य सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
- सचिव, सावधि महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- सहायक सचिव।

Principal
Lzebra College
Sydney Street, Shivpura
KOTA (Raj.)

संयुक्त-निदेशक (नि०सं०)
कॉलेज शिक्षा, राजा, जयपुर
Principal
Lzebra Girls College
Kota

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (08)आकाशि/नि.सं./2010/1541

दिनांक:- 07-2-2019

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2019-20 से स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्वसंचालित संकाय व विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पूर्वसंचालित संकाय व विषय
श्रीनाथ एजुकेशन सोसायटी, आदर्श नगर, दादाभाई, कोटा।	एल्जेब्रा कॉलेज, नियर सरसा डेयरी, शिवपुरा रावतभाटा रोड, कोटा।	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।	स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय - भौतिकशास्त्र, प्राणीशास्त्र।

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
 2. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
 3. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
 4. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
 5. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
 6. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
 7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
राज्य सरकार संस्था को वित्तव्यय सीटों की आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को प्रेषित करने के लिए आवश्यक है।
राज्य सरकार संस्था को वित्तव्यय सीटों की आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को प्रेषित करने के लिए आवश्यक है।
राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2019-20 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
 11. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनार्थ भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
 12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।
- उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, कोटा।
4. कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

B. Shrivastava
Principal
Lzebra Girls College
Kota -

B. Shrivastava
संयुक्त-निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर